स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 MGM/1/2014/MINB1/ATOTH/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 16-10-2015

सेवा में,

1. सचिव,
   सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2. महानिदेशक,
   आकाशवाणी महानिदेशालय,
   आकाशवाणी भवन,
   नई दिल्ली

3. पुलिस महानिदेशक,
   गुजरात सरकार,
   गांधीनगर (गुजरात)

विषयः श्री मनोज जी मूलियाना, सॉर्टर, आकाशवाणी, राजकोट द्वारा उनकी ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में उस केन्द्र के अधिकारियों के विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 02.09.2015 को अपराह्न 05:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को एक महीने के अवधि के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. श्री मनोज जी मूलियाना, सॉर्टर, आकाशवाणी केन्द्र, राजकोट (गुजरात) को।

प्रतिलिपि
एस एस ए, एन आई सी।

सं0 MGM/1/2014/MINB1/ATOTH/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

कार्यालय प्रमुख डा0 मीरा सौरभ, आकाशवाणी केन्द्र, राजकोट द्वारा अत्याचार करने के संबंध में श्री मनोज जी मूलियाना, सॉर्टर, आकाशवाणी, राजकोट की शिकायत दिनांक 02.03.2015 को अपराह्न 05:00 आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित : परिशिष्ट 'क'

बैठक की तिथि : 02.03.2015

श्री मनोज जी मूलियाना ने शिकायत दिनांक 29.08.2014 में आयोग को अवगत कराया कि वह 3 साल से कमर दर्द के रोग से पीड़ित है जिसके कारण वह एक जगह ज्यादा समय तक न खड़ा हो सकता है और न बैठ सकता है फिर भी कार्यालय प्रमुख डा0 मीरा सौरभ, आकाशवाणी केन्द्र, राजकोट उस पर दबाव डाल कर तीन कर्मचारियों का काम कराती जा रही है और धमकाया जा रहा है कि यदि नहीं किया गया तो उसको जूनागढ़ या अहमदाबाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। श्री मूलियाना में लिखा है कि अप्रैल, 2014 में उसको कार्यालय स्टाफ सोर्टर से सीफ्ट ड्यूटी स्टाफ स्टूडियो में ट्रांसफर कर दिया गया है परिणामस्वरूप उसने कार्यालय प्रमुख के दबाव में आकर मानसिक यातनाओं के कारण मजबूर होकर दिनांक 02.04.2014 को आत्महत्या करने के लिए जहर पी लिया था। उसने बताया कि कार्यालय प्रमुख की वजह से उसकी बहुत–सी छुट्टियां खर्च हो गई।

अभ्यावेदन में आरोपित बिन्दुओं पर नोटिस दिनांक 17.09.2014 द्वारा महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली से रिपोर्ट मांगी गई। आकाशवाणी महानिदेशालय ने पत्र दिनांक 14.11.2014 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि श्री मूलियाना द्वारा लगाए गए आरोप गलत है।

श्री मुलियाना ने लगातार आयोग से पत्राचार करते हुए अपने अभ्यावेदनों दिनांक 20.03.2015, 07.05.2015, 19.06.2015, 07.07.2015 एवं 28.07.2015 में उनके ऊपर कार्यालय प्रमुख द्वारा लगातार परेशान / प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रकरण पर चर्चा / सुनवाई हेतु महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली के साथ दिनांक 02.09.2015 को अपराह्न 05:00 बजे आयोग में बैठक निर्धारित की।

14-10-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

महानिदेशक, आकाशवाणी की ओर से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, डीडीए तथा आकाशवाणी, राजकोट (गुजरात) की कार्यालय प्रमुख, डा0 मीरा सौरभ, सहायक निदेशक आयोग में उपस्थित हुए।

आयोग ने नोट करते हुए श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव को यह कहा कि प्रकरण पर महानिदेशक आकाशवाणी को बुलाया गया था किन्तु डा0 मीरा सौरभ जिसके उपर आरोप है उन्हें ही आकाशवाणी महानिदेशक ने चर्चा के लिए भेजा है जबकि मामले में आकाशवाणी महानिदेशालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों को संवैधानिक आयोग के समक्ष चर्चा के लिए आना चाहिए था।

श्री मूलियाना ने जानकारी दी कि उसने कार्यालय प्रमुख की इस प्रताड़ना से ग्रसित होने की सूचना राजकोट गांधीग्राम पुलिस में सरकारी अस्पताल में 02.04.2014 को बयान देकर दी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात् उनकी पत्नी ने पुलिस कमिश्नर, राजकोट को शिकायत की किन्तु पुलिस द्वारा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यालय प्रमुख ने पुलिस से मिल कर उसकी शिकायत को दबा दिया गया और बीमार होने के बावजूद उनको बार–बार कार्यालय ज्ञापन दिए गए किन्तु इस संबंध में आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजकोट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री एम.जी मूलियाना ने कहा कि कार्यालय प्रमुख डा0 मीरा सौरभ द्वारा उनको प्रारंभ से ही सार्टर के अलावा और अतिरिक्त कार्य देकर तंग किया गया है जिसके कारण वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार भी हो गया है। उसने आयोग को अवगत कराया कि सहायक निदेशक, डा0 मीरा सौरभ के अत्याचार के कारण ही उनकी अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश कट चुकी है। श्री मूलियाना ने अनुरोध किया कि उनको न हिन्दी भाषा आती है न अंग्रेजी भाषा। अतः कार्यालय में सोर्टर का काम ही दिया जाए।

डा0 मीरा सौरभ, सहायक निदेशक, आकाशवाणी, राजकोट से पूछा कि श्री मूलियाना की मानसिक परिस्थितियां एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी होने पर ही उन्हें तंग किए जाने संबंधी आरोपों पर आपका क्या कहना है जिस पर डा0 मीरा सौरभ ने आयोग में बताया कि श्री मूलियाना को कार्यालय के कार्य दिए गए हैं और कार्यालय हित में दी, उन्हें दिए गए कार्य करने को गहा गया है। डा0 मीरा सौरभ ने श्री मूलियाना की बीमारी, मानसिक स्थिति तथा उसका अनुसूचित जनजाति सदस्य होने पर उनके साथ उनका व्यवहार व उन पर अत्याचार कर अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाया है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी है तो उनका आदेश मानना पड़ेगा वह किसी भी परिस्थिति की श्री मूलियाना की दिक्कतों को नहीं देखना चाहती है।

आयोग ने पाया कि मामले में कार्यालय प्रमुख, डा0 मीरा सौरभ सहायक निदेशक द्वारा श्री मूलियाना की दिक्कतों को ध्यान में नहीं रखा गया जिसे आयोग ने चर्चा के

Rav [signature]
14-10-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दौरान उनका अलग व्यवहार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के प्रति सहानुभूतिपूर्वक नहीं पाया गया है।

आयोग ने सलाह दी कि श्री मूलियाना की शारीरिक एवं मानसिक हालत को देखते हुए उनको सोर्टर का कार्य दिया जाए।

आयोग ने सलाह दी कि उपरोक्त से, सचिव, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, गुजरात सरकार को अवगत करवाया जाए कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी/सदस्य के साथ ऐसी घटना की पुनर्रावृति न हो।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

संं0 MGM/1/2014/MINB1/ATOTH/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	श्री रवि ठाकुर	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर	निदेशक
3.	श्री एच0आर0 मीना	वरिष्ठ अन्वेषक
आकाशवाणी महानिदेशालय		
1.	श्री राजीव श्रीवास्तव	डीडीए
2.	डा0 मीरा सौरभ	सहायक निदेशक
अभ्यावेदक		
1	श्री मनोज जी. मूलियाना	